"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 जनवरी 2013—माघ 10, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-04/01/2010/14-2.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 3376/14-3, भोपाल, दिनांक 25-08-1976 द्वारा, राजनांदगांव तहसील के अंतर्गत तत्कालीन विकासखंड डोंगरगांव को मण्डी क्षेत्र के रूप में समाविष्ट करते हुए, डोंगरगांव में मण्डी विनियमित की गई.

और यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने डोंगरगांव मण्डी की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए उसमें से राजनांदगांव तहसील के 23 ग्रामों को अपवर्जित करते हुए तथा राजनांदगांव के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में उन्हें सम्मिलित करते हुए, अधिसूचना क्र. 2524/एफ-04/01/2010/14-1, रायपुर, दिनांक 04-07-2011 जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है, तथा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने छुरिया के अधिसूचित मण्डी को बंद करते हुए तथा डोंगरगांव के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ छुरिया मण्डी के मण्डी क्षेत्र को समामेलित करते हुए, अधिसूचना क्र. 2524/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 04-07-2011 जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख

से डोंगरगांव के शेष मण्डी क्षेत्र अर्थात् छुरिया के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र सहित डोंगरगांव तहसील के समस्त क्षेत्र अर्थात्, छुरिया तहसील के संपूर्ण वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र जो कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है, डोंगरगांव के मण्डी क्षेत्र होंगे.

अनुसूची

राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव तथा छुरिया तहसील के सम्पूर्ण राजस्व एवं वनग्रामों सहित समस्त क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक एफ-04/01/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 30-01-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 30th January 2013

NOTIFICATION

No. F-04/01/2010/14-2.—The State Government vide Notification No. 3376/14-3, Bhopal, dated 25-08-1976, issued under the provision of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Dongargaon, having market area comprising of the then development blocks Dongargaon, under Rajnandgaon Tahsil of Rajnandgaon District.

And whereas, by issuance of Notification No./2524/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 04-07-2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to alter the limits of Dongargaon Mandi by excluding the 23 villages of Rajnandgaon Tahsil therefrom of Notification No./2524/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 04-07-2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) had signified its intention to disestablish the notified market at Chhuriya and to amalgamate the market area of Chhuriya mandi with notified market area of Dongargaon.

Now, therefore, the State Government by exercising powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette. The left out market area of Dongargaon i. e. the complete area of Tahsil Dongargaon with the notified market area of Chhuriya i.e. complete area of Chhuriya Tahsil inclusive of all forest villages as mentioned in the Schedule below shall be market area of Dongargaon.

SCHEDULE

Complete area of Dongargaon and Chhuriya Tahsil inclusive of all revenue and forest villages of Rajnandgaon District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.